



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219589
CG-DL-E-01062020-219589

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1476]
No. 1476]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISTHA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

का. आ. 1643(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः—

अनुसूची

क्रमांक सं.	प्राधिकारी का ओहदा और पता	उत्तर प्रदेश राज्य न्यायायिक क्षेत्र के लिए
1	अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर, सक्षम प्राधिकारी, आई० एच० बी० प्राइवेट लिमिटेड, कांडला – गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना, जिला – कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश)	कानपुर नगर जिला के लिए
2	मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ सक्षम प्राधिकारी, आई० एच० बी० प्राइवेट लिमिटेड, कांडला – गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना, जिला – प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	प्रतापगढ़ जिला के लिए

3	अपर जिलाधिकारी (भू. अ – II) लखनऊ, सक्षम प्राधिकारी, आई. एच. बी. प्राइवेट लिमिटेड, कांडला – गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना, जिला – लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	लखनऊ जिला के लिए
4	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी, सक्षम प्राधिकारी, आई. एच. बी. प्राइवेट लिमिटेड, कांडला – गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना, वाराणसी। जिला – वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	वाराणसी जिला के लिए
5	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उन्नाव, सक्षम प्राधिकारी, आई.एच.बी.प्राइवेट लिमिटेड, कांडला – गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना, उन्नाव। जिला – उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	उन्नाव जिला के लिए
6	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर, सक्षम प्राधिकारी, आई.एच.बी.प्राइवेट लिमिटेड, कांडला – गोरखपुर एल पी जी पाइपलाइन परियोजना, गोरखपुर। जिला – गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	गोरखपुर जिला के लिए

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020 ओआर-1/ई-33882]

पी सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

S.O. 1643(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby Authorizes the persons mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of Competent Authority under the said Act, in respect of the areas mentioned in column (2) of the said Schedule namely:-

SCHEDULE

Sl. No.	Designation and Address of the Authority	Area of Jurisdiction in the State of Uttar Pradesh
1	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Kanpur Nagar, Competent Authority for Kandla – Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), IHB Private Limited Dist.- Kanpur Nagar (UP)	For the District of Kanpur Nagar
2	Chief Revenue Officer, Pratapgarh Competent Authority for Kandla – Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), IHB Private Limited Dist.- Pratapgarh (UP)	For the District of Pratapgarh
3	Additional District Magistrate (Land Acquisition II), Lucknow, Competent Authority for Kandla – Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), IHB Private Limited Dist.- Lucknow (UP)	For the District of Lucknow
4	Special Land Acquisition Officer, Varanasi, Competent Authority for Kandla – Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), IHB Private Limited Dist.- Varanasi (UP)	For the District of Varanasi

5	Special Land Acquisition Officer, Unnao, Competent Authority for Kandla – Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), IHB Private Limited Dist.- Unnao (UP)	For the District of Unnao
6	Special Land Acquisition Officer, Gorakhpur, Competent Authority for Kandla – Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), IHB Private Limited Dist.- Gorakhpur (UP)	For the District of Gorakhpur

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-IE-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.